न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद।

उपस्थितः मुकेश कुमार सिंह–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा।

सत्र परीक्षण संख्याः 653/2023

उत्तर प्रदेश राज्य––––––––बनाम––––––––––किशन आदि

मु०अ०सं० 302/2023
धारा 498A,323,304B भा०द०सं०
व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि०
वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं०
थाना खोड़ा, गाजियाबाद।

आरोप

मैं, मुकेश कुमार सिंह–प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद आप अभियुक्तगण **किशन, गोपाल, गोरी एवं श्रीमती निर्मला उर्फ नेमवती** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि वादी मुकदमा की बेटी रेनू की शादी दिनांक 11–05–2017 को आप में से अभियुक्त किशन के साथ हुयी थी, जब वादी की पुत्री विदा होकर ससुराल अन्तर्गत थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद में गयी तो शादी के पश्चात से विभिन्न समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की पुत्री रेनू को दहेज के लिये प्रताड़ित कर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से यातनाए दी गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 498A भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की पुत्री रेनू को दहेज के लिये प्रताड़ित किया और दिनांक 16–05–2023 से पूर्व किसी समय उसकी गला दबाकर मृत्यु कारित की गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 304B भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की पुत्री रेनू को दहेज के लिये प्रताड़ित किया और उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 323 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की पुत्री रेनू को प्रताडित किया और अतिरिक्त की मांग की गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

वैकल्पिक आरोप

5– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की पुत्री रेनू को अतिरिक्त दहेज के लिये मारपीट की गयी तथा दिनांक 16–05–2023 को उसका गला दबाकर साशय हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा

302 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक: 27–10–2023

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया व परीक्षण चाहा।

दिनांक: 27–10–2023

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद।

उपस्थितः मुकेश कुमार सिंह–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा।

सत्र परीक्षण संख्याः 653/2023

उत्तर प्रदेश राज्य––––––––बनाम––––––––––किशन आदि

मु०अ०सं० 302/2023
धारा 498A,323,304B भा०द०सं०
व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि०
वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं०
थाना खोड़ा, गाजियाबाद।

मेमोरेण्डम

अभियुक्तगण **किशन, गोपाल, गोरी एवं श्रीमती निर्मला उर्फ नेमवती** कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया हैं कि अभियुक्त किशन की शादी मृतका के साथ साधारण तरीके से हुयी थी। अभियुक्तगण ने मृतका से न तो कभी दहेज की मांग की गयी और न ही दहेज के लिये उसे प्रताडित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुए कहा गया हैं कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री/मृतका को दहेज के लिये प्रताडित किया गया और अतिरिक्त दहेज मांग की गयी और दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गयी। विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विवेचना उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

केस डायरी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498A,323,304B भा०द०सं० व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि० एवं वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं० का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया व परीक्षण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 07–11–2023 को पेश हो। साक्षीगण नियत तिथि के लिये जरिये समन तलब हो।

दिनांक: 27–10–2023

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

Digitally signed by MUKESH KUMAR SINGH I
Date: 2023.10.27 16:45:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court